

विषय - श्री अजय गुप्ता द्वारा आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना ।

संदर्भ: RTI. No: 475 dated 17.07.2025.

क्रम संख्या	जानकारी मांगी गई	जवाब
1	दिनांक 31/07/2021 को ग्राम चकसेमरा में किए गए कृष्णा कान्त के पुनः सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि देने कृपा करें।	मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के नियम 8(जे) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती।
2	पत्रांक संख्या 02 दिनांक 05/04/2025 की शासनादेश सहित पत्र की प्रतिलिपि देने की कृपा करें।	इस से संबंधित जानकारी के लिए यूनिट को भेजा गया है ।
3	पुनः सर्वेक्षण में कृष्णा कान्त का कुल कितना मुआवजा बना है ।	मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के नियम 8(जे) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती।
4	पुनःसर्वेक्षण का क्षेत्राधिकार किसके पास है?	इस से संबंधित जानकारी के लिए यूनिट को भेजा गया है ।
5	सर्वेक्षण के दौरान अगर काश्तकार के अचल सम्पत्ति कुछ हिस्सा छूट जाता है तो काश्तकार को छूटे हुए अचल सम्पत्ति का मुआवजा किस प्रक्रिया द्वारा दिया जायेगा।	Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR-2013) के नियमों के अनुसार, छूटी हुई संपत्ति के लिए मुआवजे की गणना की जाएगी।
6	क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 300A का हनन करके किसी भी काश्तकार का जमीन जबरदस्ती ले सकती है?	सरकार द्वारा किसी भी काश्तकार की जमीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013), जिसे LARR Act भी कहा जाता है, के तहत ली जाती है।

Amresh Kumar
AM/SEMUAPIO 04.08.2025

GM/LA&SEMU

Handwritten signature
4.8.25
AGM/Admn (PIO)

No.: PRYJ (W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/5788

Date: 13/08/2025

एस. के. पाण्डा
ए.जी.एम./एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत श्री अजय गुप्ता द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में। (आर.टी.आई. संख्या 475)

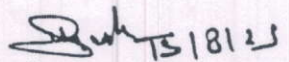
सन्दर्भ: (1) प्रधान कार्यालय का ई-मेल दिनांक 18.07.2025। (आर.टी.आई. संख्या 475)
(2) रजि० संख्या DFCCIL/R/E/25/00375 दिनांक 17.07.2025।

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत श्री अजय गुप्ता द्वारा वांछित सूचनाएं निम्न हैं—

क्र.स	वांछित सूचना	सूचना
1	दिनांक 31.07.2025 को ग्राम चकसेमरा में किये गये कृष्णकान्त के पुनः सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतिलिपि देने की कृपा करें।	
2	पत्रांक संख्या .02 दिनांक 05.04.2025 की शासनादेश सहित पत्र की प्रतिलिपि देने की कृपा करें।	आपके द्वारा माँगी गयी सूचना स्पष्ट नहीं है।
3	पुनः सर्वेक्षण में कृष्ण कान्त का कुल कितना मुआवजा बना है?	
4	पुनः सर्वेक्षण का क्षेत्राधिकार किसके पास है?	रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20बी के अन्तर्गत पुर्न सर्वेक्षण, हेतु सक्षम प्राधिकारी/अर्जन निकाय का अधिकार है।
5	सर्वेक्षण के दौरान अगर काश्तकार के अचल सम्पत्ति का कुछ हिस्सा छूट जाता है तो काश्तकार को छूटे हुए अचल सम्पत्ति का मुआवजा किस प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा?	
6	क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 300ए का हनन करके किसी भी काश्तकार का जमीन जबरदस्ती ले सकती है?	

उपर्युक्त सूचना पर मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक: यथोक्त।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल
प्रयागराज